

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

पत्रांक :- 03/कृ0रा0यो0-32/2011.....60..... /कृ0, राँची, दिनांक 28-12-2022

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0प्र0से0,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

झारखण्ड, राँची।

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि निगम, एजेंसी एवं मिशन को सहायता अनुदान योजनान्तर्गत आत्मा एवं समेति को राशि रु. 400.00 लाख (चार करोड़ रुपये) मात्र का निधि आवंटन।

प्रसंग: विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-53 दिनांक-23.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश सं0-53 दिनांक-23.12.2022 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि निगम, एजेंसी एवं मिशन को सहायता अनुदान योजनान्तर्गत आत्मा एवं समेति को राशि रु. 400.00 लाख (चार करोड़ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उक्त आवंटित राशि की निकासी संगत बजटशीर्ष के संबंधित विस्तृतशीर्षों से उपबंधित राशि के अंतर्गत निम्न प्रकार की जायेगी :

(राशि रु लाख में)

क्र0	बजटशीर्ष	स्वीकृत राशि
1	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-AY-कृषि निगम, एजेंसी एवं मिशन को सहायता अनुदान, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 79-सहायता अनुदान सामान्य(गैर वेतन) (01S240100796AY000679)	400.00
	कुल	400.00

(चार करोड़ रुपये) मात्र

3. आवंटित राशि की निकासी प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश में घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी वित्त नियमावली, कोषागार नियमावली तथा वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों/परिपत्रों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।
4. आवंटित राशि की निकासी संबंधित स्वीकृत्यादेश सं0-53 दिनांक-23.12.2022 में वर्णित शर्तों एवं अनुदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए की जायेगी। आवंटित निधि के अधिक अथवा किसी भी प्रकार की अनियमित व अवैध निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
5. राशि के व्यय के पश्चात् निदेशक, समेति द्वारा व्यय से संबंधित अभिलेख कृषि निदेशक को उपलब्ध करायेंगे जिसके आधार पर कृषि निदेशक (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र Online Generate करते हुए उसकी हस्ताक्षरित प्रति

विभाग/महालेखाकार झारखण्ड, राँची को ससमय उपलब्ध करायेंगे। साथ ही मदवार विस्तृत विवरणी विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

6. निदेशक समेति, झारखण्ड, राँची सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखेंगे, अंकेक्षण आपत्तियों का प्राथमिकता से निष्पादन करायेंगे। साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि पूर्व में इस मद के व्यय में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति (पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन) हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।
7. निदेशक समेति, झारखण्ड, राँची का यह दायित्व होगा कि महालेखाकार तथा वित्त अंकेक्षण हेतु अभिलेख के विधिवत संधारित रखेंगे। इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उनकी जिम्मेदारी होगी।
8. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तों का अक्षरशः पालन किया जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

झापांक-03/कृ0रा0यो0-32/2011

60

/कृ0, राँची, दिनांक-28-12-2022

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त दक्षिण छोटानागपुर/उपायुक्त, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

झापांक-03/कृ0रा0यो0-32/2011

60

/कृ0, राँची, दिनांक-28-12-2022

प्रतिलिपि- कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के अलावा आवंटनादेश की प्रति उनके ई-मेल आईडी0-directoragriculturejh@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाइट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।

झापांक-03/कृ0रा0यो0-32/2011

60

/कृ0, राँची, दिनांक-28-12-2022

प्रतिलिपि- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/नोडल पदाधिकारी, एक्सटेंशन रिफोर्स (आत्मा स्कीम), झारखण्ड/निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी सह-परियोजना निदेशक, आत्मा, झारखण्ड/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाइट/योजना शाखा-3, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को (10) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Agriculture Di

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 03/kry-32/2011/60

दिनांक - 28-Dec-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 01 240100796AY000679 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता AY - कृषि निगम, एजेंसी एवं मिशन को सहाय्य अनुदान 00-NA 06 - अनुदान State Scheme	71445	RNCACH028 MUKESH KUMAR SINHA DEPUTY DIRECTOR AGRICULTURE(GE 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	40,000,000.00 रुपये चार करोड
	State Scheme : Central Scheme :		GRANT IN AID TO DIFFERENT AGRICULTURE CORPORATIONS, AGENCIES AND MISSIONS(1547) NA	

योग: 40,000,000.00

रुपये चार करोड

कमिश्नर योग:

(ABOUBACKER SIDDIQUE P)

SECRETARY